

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
 संख्या- 64 / प्र0फी0नि0स0 / 2018
 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 अधिनियम 2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली-2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक शिक्षा, विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

(क) निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रुपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	बी0टेक0	
02	बी0फार्मा0	55000.00
03	बी0आर्की0	63300.00
04	बी0एफ0ए0	57730.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	85250.00
07	एम0बी0ए0	70000.00
08	एम0सी0ए0	59700.00
09	एम0फार्मा0	55000.00
10	एम0आर्की0	68750.00
11	एम0टेक0	57500.00

Sanjay Kumar Singh, Lucknow

(Signature)

P.C. attested

99 नोटिफिकेशन अटैस्टेड

(Signature)

Hewett Polytechnic

24.11.2018

(Signature)
08.10.2018

Principal
Hewett Polytechnic
Mahanagar, Lucknow-8

(ख) निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क-

> निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मसी पाठ्यक्रम का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	डिप्लोमा एण्ड इंजीनियरिंग	
02	डी0फार्मा0	30150.00
03	डी0आर्की0	45000.00
04	डी0एच0एम0सी0टी0	30250.00
		31300.00

> निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	दो एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0फार्मा के अतिरिक्त)	रु0 22500.00

> सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रु0 19000.00

3. जो संस्थायें उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार्य करना चाहती हैं वे समिति की वेबसाइट www.aficup2018.in पर अपना ऑन लाइन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेगी।

4. ऐसी संस्थायें जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती हैं, वे उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली-2015 विनियम-4 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 30 दिन के अन्दर अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/लेखा-विवरण एवं

Sonkar 18 minak shukh andesh

[Signature]

[Signature]

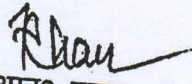
[Signature]

Principal
Hewlett Polytechnic
Mananagar, Lucknow-6

Principal
Hewlett Polytechnic
Mananagar, Lucknow

अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित वेबसाइट www.afircup2018.in पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध कराये।

5. समस्त डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि मानक शुल्क से सहमति अथवा असहमति की स्थिति में संस्थानों को अपना विकल्प आवेदन के माध्यम से देना अनिवार्य होगा, चाहे वे मानक शुल्क से सहमत हो अथवा नहीं। जिन संस्थाओं द्वारा मानक शुल्क स्वीकार करते हुए अपने सहमति उपलब्ध करा दी जायेगी, उनके मानक शुल्क आदेश सहमति प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर निर्गत कर दिये जायेंगे तथा ऐसे संस्थान जो न तो मानक शुल्क की सहमति प्रदान की है और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है तथा उन संस्थानों हेतु भी 30 दिन उपरान्त मानक शुल्क के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।


एफ0आर0 खान
सचिव

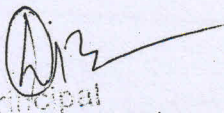
संख्या एवं दिनांक तदैव:-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) निदेशक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
 - (2) कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
 - (3) उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
 - (4) प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
 - (5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
 - (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

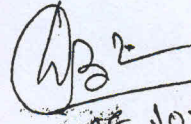

(एफ0आर0 खान)
सचिव

जाते-जाते अटैचेड


Principal

Howett Polytechnic
Mahanagar, Lucknow-6

Sanke 18 menak shult aadesh


Howett Polytechnic
Mahanagar, Lucknow-6

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्राविधिक शिक्षा,
उ0प्र0 कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक ०3 दिसम्बर, 2010

विषय:- डिप्लोमा स्तरीय अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित पाठ्यक्रम के साथ चलाये जा रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में फीस एवं विभिन्न मानकों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16810/ई-35-एक्स-विविध, दिनांक 15-11-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिप्लोमा स्तरीय अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में नियमित पाठ्यक्रम के साथ चलाये जा रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न मानकों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-278/सोलह-प्रा0शि0-3-2003-12(बी)/2002 दिनांक 27-5-2003 के प्रस्तर -2 के उपप्रस्तर-4 में निर्धारित शैक्षणिक स्टाफ, कम्प्यूटर प्रोग्रामर /कला अनुदेशकों का समेकित वेतन तथा प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-6 में निर्धारित शिक्षण शुल्क रू0 9000/- एवं विकास शुल्क रू0 5000/- को सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय कमशः निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	विवरण	शासनादेश संख्या-278/सोलह-प्रा0शि0-3-2003-12(बी)/2002 दिनांक 27-5-2003 द्वारा पूर्व निर्धारित दरें (धनराशि रू0 में)	नई दरें (धनराशि रू0 में)
1	शैक्षणिक स्टाफ	8,000/-	10,000/-
2	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/कला अनुदेशक	5,000/-	6000/-
3	शिक्षण शुल्क रू0 9000/- तथा विकास शुल्क रू0 5000/-	14,000/-	21,000/-

2- यह आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगे।

new com hansoo

(18/10/10) (31/3/10)
निदेशक,
08/11/10

भुवदीय,
(रवीन्द्र नाथ सिंह)
अनु सचिव।
R.C. attached

24/11/2010

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

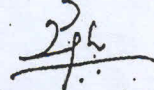
- 1- महालेखाकर, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 3- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 4- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 7- प्रदेश के समस्त डिप्लोमा संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को (द्वारा निदेशक)
- 8- प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
- 9- गार्ड फाइल।

P.C. attached

AN

24.11.2020

आज्ञा से,



(रवीन्द्र नाथ सिंह)
अनु सचिव।